म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर

https://mpcci.in

e अर्थवार्ता

मासिक पत्रिका

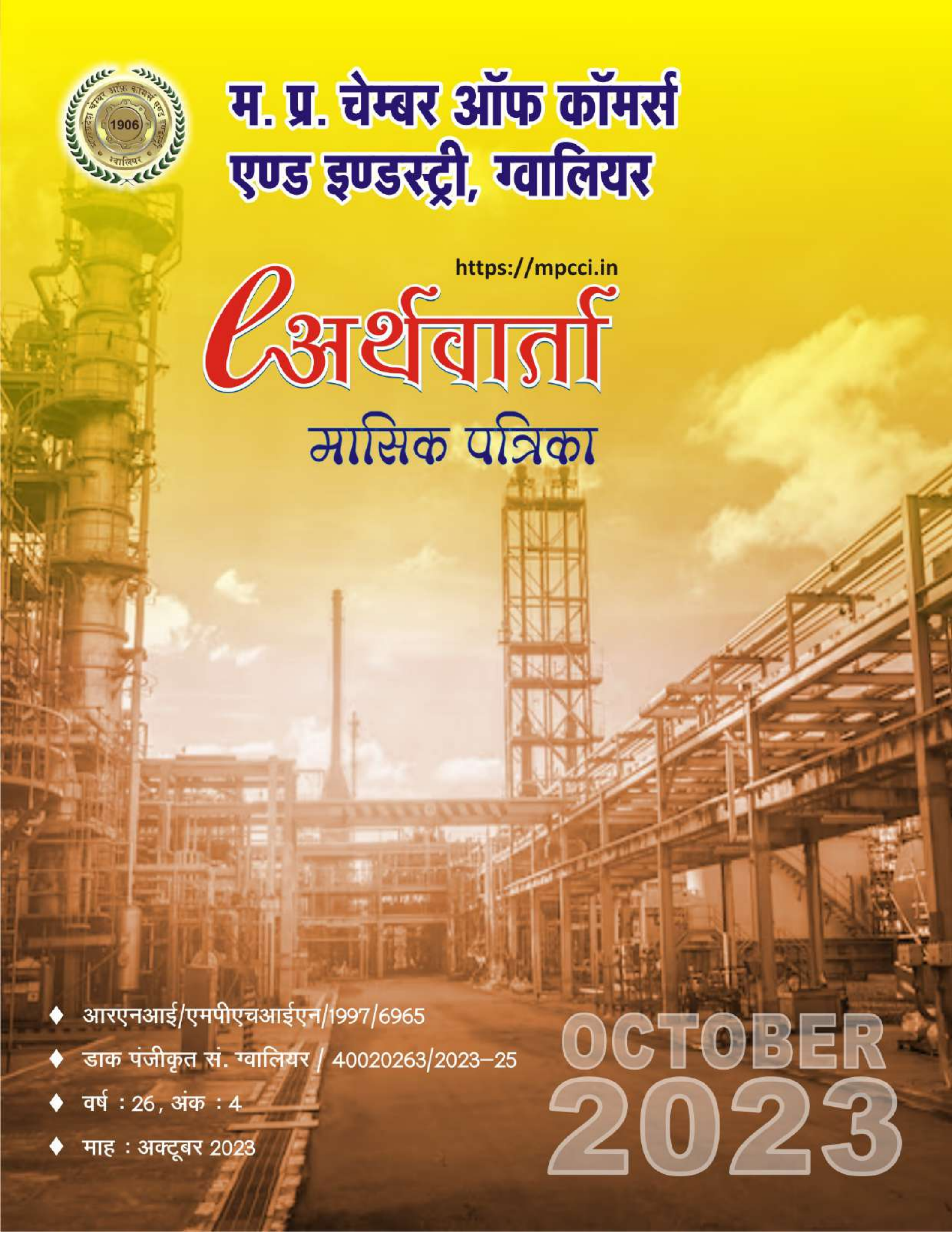

- आरएनआई/एमपीएचआईएन/1997/6965
- डाक पंजीकृत सं. ग्वालियर / 40020263/2023–25
- वर्ष : 26, अंक : 4
- माह : अक्टूबर 2023

OCTOBER 2023

http://www.mpcci.in
अर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

MPCCI के प्रतिनिधि मण्डल ने तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र में लगातार सुनियोजित रूप से औद्योगिक इकाईयों में हो रहीं चोरी की घटनाओं के विरोध में SSP-श्री राजेश सिंह चंदेल को सौंपा ज्ञापन

शहर के मध्य स्थित सबसे पुराने तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र में विगत् कुछ दिनों से लगातार चोरों द्वारा औद्योगिक इकाईयों में की जा रहीं चोरी की घटनाओं के विरोध में दिनांक 5 अक्टूबर,23 को MPCCI के प्रतिनिधि मण्डल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-श्री राजेश सिंह चंदेल को एस.पी. ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर, चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने की माँग की ।

प्रतिनिधि मण्डल, अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल के नेतृत्व में एसएसपी महोदय से मिला । इस अवसर पर उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल तथा कार्यकारिणी सदस्य-श्री ललित गुप्ता सहित तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी शामिल थे ।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि चोरों द्वारा आए दिन तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाईयों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है । इस औद्योगिक क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय उद्यमियों में भय एवं आक्रोश व्याप्त है क्योंकि एक तरफ सरकार उद्योग लगाने की बात करती है और वहीं दूसरी ओर जो इकाईयाँ वर्षों से संचालित हैं, उनको स्थानीय पुलिस प्रशासन सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इकाईयों में लाखों रुपये की चोरी की घटनाओं को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी है । प्रतिनिधि मण्डल ने एसएसपी महोदय को बताया कि उपरोक्त चोरी की सभी घटनाओं की उद्यमियों द्वारा संबंधित पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ।

प्रतिनिधि मण्डल द्वारा ज्ञापन के माध्यम से माँग की गई कि शहर के मध्य स्थापित तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाए । पुलिस की कार्यवाही इस प्रकार की हो कि उसका पूरा प्रभाव स्पष्ट रूप से उद्योगपतियों के साथ-साथ प्रत्येक शहरवासी को दिखाई दे, ताकि सुरक्षा का संदेश कारोबारियों के मध्य पहुँच कर, शहर के उद्यमियों का खोया हुआ विश्वास पुनः बहाल हो और वह अपनी इकाईयों का संचालन सुचारू रूप से कर सकें ।

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-श्री राजेश सिंह चंदेल ने म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया कि तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस गश्त सहित अन्य सभी सुरक्षा संबंधी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी । आपने कहाकि उद्योगपतियों को भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है । पुलिस प्रशासन आपके साथ है । आपने कहाकि हाल ही में चोरी की जो घटनाएँ उक्त क्षेत्र में घटित हुई हैं, उनकी प्राथमिकता के साथ जाँच की जा रही है और शीघ्र ही इसके परिणाम आपके सामने होंगे ।

'चेम्बर संवाद' के अन्तर्गत समूह क्र.-15, 16 एवं 17 की बैठक आयोजित

'चेम्बर संवाद' के अन्तर्गत दि. 07 अक्टूबर,23 को समूह क्र.-15 (ऑटोमोबाइल डीलर व्यवसाय), समूह क्र.-16 (स्पेयर पार्ट्स डीलर व्यवसाय) एवं समूह क्र.-17 (पेट्रोलियम एवं उत्पाद व्यवसाय) की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि सदस्यों का जुड़ाव चेम्बर से बढ़े और उनके व्यापार की समस्याओं का संकलन कर, चेम्बर उन पर कार्यवाही करे, इसी उद्देश्य को लेकर समूहवार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आज की बैठक में आपके द्वारा जिन विषयों को रखा जाएगा, उन पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के प्रदेश में महंगा होने से समीपवर्ती प्रदेशों के उद्योग-व्यापार से हम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं। समाज का हर वर्ग, यहाँ तक कि हर नागरिक को इससे नुक्सान हो रहा है।

पूर्व उपाध्यक्ष-श्री जी. एल. भोजवानी ने कहा कि पेट्रोल पंप व्यवसाईयों की प्रमुख समस्या पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर अधिक होना है, इस कारण ग्वालियर के पेट्रोल पंप व्यवसाईयों का कारोबार घट गया है। यहाँ से गुजरने वाले वाहन सीमित मात्रा में पेट्रोल भराते हैं क्योंकि पड़ोसी राज्यों में 8 से 12 रूपये प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल सस्ता मिलता है। इसलिए पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए। पेट्रोलियम व्यवसाई-श्री सर्वजीत सिंह ज्ञानी ने कहा कि इस विषय पर हम चेम्बर को विस्तृत जानकारी प्रेषित करेंगे, ताकि आप इस पर तथ्यों के साथ कार्यवाही करें।

समूह क्रमांक-16 से कार्यकारिणी समिति सदस्य-श्री प्रशांत सिंघल ने कहा कि प्रशासन द्वारा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना है, यह बसें ट्रांसपोर्ट नगर तक चलाई जाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर में मूलभूत सुविधाओं की कमी होने से व्यापार प्रभावित हो रहा है, इसलिए यहाँ की सड़कों का निर्माण शीघ्र हो, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। श्री भरत कुमार बंसल ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी की दरें 18% एवं कुछ आयटम पर 28% हैं। इन दरों को कम किया जाना चाहिए। आपने बताया कि कर्नाटक बैंक वाली गली में बोरिंग होने के बाद रोड खराब हो गई है, इससे काफी परेशानी हो रही है, इसे जल्द दुरूस्त कराया जाना चाहिए। वहीं जयेन्द्रगंज में यूरिन बॉक्स टूट जाने से सड़क पर गंदगी व बदबू से परेशानी हो रही है।

समूह क्रमांक-17 से कार्यकारिणी समिति सदस्य-श्री अमित सेठी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर अधिक होने से हमारा व्यापार ही प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि शासन को भी राजस्व की हानि हो रही है। इसके साथ ही उद्योग-व्यापार व प्रदेश के हर वर्ग को आर्थिक नुक्सान हो रहा है। आपने कहा कि इस विषय पर सभी वर्गों की बैठक आयोजित कर, सभी वर्गों के सुझाव को शामिल कर, उन पर स्टडी करके शासन के समक्ष तथ्य रखे जाएं कि किस प्रकार प्रदेश उद्योग-व्यापार को नुक्सान के साथ ही, शासन को राजस्व का नुक्सान हो रहा है। श्री विपुल गुप्ता ने कहा कि मुख्य मुद्दा पेट्रोल-डीजल पर प्रदेश में वैट की दर अधिक होना है। इसकी दरों को समान करने के लिए इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल किया जाए अथवा समीपवर्ती प्रदेशों के समान वैट की दर प्रदेश में रखी जाए। व्यवसायी-श्री संजय जैन ने कहा कि शासन की लाड़ली बहिना योजना से जहां समाज का एक वर्ग लाभ उठा रहा है, लेकिन यदि शासन पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर समीपवर्ती प्रदेशों के समान करता है, तो इससे शहर व प्रदेश का हर परिवार आर्थिक रूप से लाभांवित होगा।

बैठक के अंत में मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में सर्वश्री कुलदीप समाधिया, जगदीप सिंह, नरेश अग्रवाल, आदित्य जैन, अंकित फुलबधिया, कृष्ण पटेल, दीपक जैन, अनिल माहेश्वरी, कन्हैया अग्रवाल सहित काफी संख्या में व्यवसायीगण उपस्थित थे।

कंपनियाँ निवेशकों के प्रति रहें जागरूक : श्री मुकेश कुमार सोनी, कम्पनी पंजीयक आपकी कंपनी में कौन निवेश कर रहा है, इसकी जानकारी स्वयं निकाल सकते हैं कम्पनी संचालक

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, मध्यप्रदेश के सहयोग से चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा–90 के संबंध में कंपनियों को निवेशकों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए एक सेमीनार का आयोजन दिनांक 23 अक्टूबर,23 को 'चेम्बर भवन' में आयोजित किया गया। सेमीनार में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, मध्यप्रदेश–श्री मुकेश कुमार सोनी, उप पंजीयक–डॉ. अंजलि पोखरियल एवं तकनीकी सहायक–श्री आशीष तिवारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और आज हमें जो जानकारियाँ मिलेंगी, वह हमारे व्यापार–उद्योग में आने वाले समय में कम से कम कानूनी पेचीदगियाँ आएं, इसमें बड़ी सहायक होंगी । आज हमारे बीच पधारे अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी और चेम्बर ऑफ कॉमर्स के मध्य जो संवाद का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, वह आगे भी जारी रहेगा।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहा कि आज के सेमीनार में जो जानकारी प्राप्त होंगी, उसे अंचल के समस्त व्यापारियों एवं उद्योगपतियों तक पहुंचाया जाएगा।

कम्पनी पंजीयक–श्री मुकेश कुमार सोनी ने सेमीनार में बताया कि MPCCI के साथ हम संवाद को निरंतर बनाए रखेंगे और इसके माध्यम से भारत सरकार की नीतियों को हम आप तक बिना किसी कंफ्यूजन के पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे व्यापार/उद्योग बढ़े और हमारा देश एवं प्रदेश समृद्ध हो। सरकार के विभिन्न विभाग आपको अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए जागरूक करते रहते हैं। बेनामी संपति, मनी लॉंड्रिंग एवं ब्लैक मनी के बारे में हम सब जानते हैं। इसी प्रकार ही कंपनी अधिनियम के तहत सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स हैं, जिस पर FATF (Financial Action Task Force) संगठन द्वारा काफी काम किया जा रहा है। भारत इस संगठन का सदस्य है। इसका उद्देश्य इकॉनोमी में ब्लैक मनी को आने से रोकना है, ताकि हमारे देश की इकॉनोमी क्लीन और स्ट्रांग बनी रह सके । हमारा देश 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी बने इसके लिए यह बहुत आवश्यक है । आपने उदाहरण देकर समझाया कि एक कंपनी अपने लिए निवेशक चाह रही है और यदि कोई चाइना का व्यक्ति उसमें अपना पैसा निवेश कर रहा है, तो आपको लगेगा कि आपको निवेशक मिल गया, लेकिन वास्तव में वह अपनी ब्लैक मनी को आपकी कंपनी में लगाकर अपनी मनी को व्हाइट कर रहा है और यदि उसके पास कंपनी के अधिक शेयर हैं, तो वह आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकता है। इसलिए निवेशक कौन है, यह जानना बहुत जरूरी है। कंपनी अपने निवेशक के प्रति जागरूक हों, इस सेमीनार का यही उद्देश्य है।

उप पंजीयक–डॉ. अंजलि पोखरियल ने तकनीकी जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी अधिनियम की धारा–90 के तहत जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स होते हैं, उनको अपना नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होता है, जिसे वह कंपनी को देते हैं और उसके बाद कंपनी यह जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को देती है। आपने बताया कि बेनिफिशियल ऑनर्स वह होते हैं, जिसका नाम नहीं है, उस शेयर पर परंतु वह उस शेयर के पीछे खड़ा शख्स है। यह सिग्निफिकेंट तब हो जाता है, जब उसके पास कंपनी के 10 प्रतिशत शेयर होते हैं या 10 प्रतिशत वोटिंग राइट्स होते हैं या उस कंपनी के लाभांश में उसका 10 प्रतिशत हिस्सा होता है। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स को अपनी जानकारी कंपनी को Ben-1 form में देना होती है। कंपनी इस जानकारी को 30 दिवस के अंदर Ben-2 form में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को देती है कि मेरी कंपनी में यह लोग सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स हैं । कंपनी की जबावदारी यहीं खत्म नहीं होती है । कंपनी को Ben-4 के तहत यह पता करना होगा कि उनकी कंपनी के सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स कौन हैं । इस जानकारी को वह ट्रिब्यूनल के माध्यम से भी पता कर सकती है । यदि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स एवं कंपनी द्वारा तय समय सीमा में जानकारी नहीं दी, तो फिर नियमानुसार रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा पैनाल्टी भी लगाई जाती है। कार्यक्रम के अंत में आभार, उद्यमी–श्री संजय धवन द्वारा व्यक्त किया गया।

http://www.mpcci.in
अर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

नगर-निगम के सहयोग से 'चेम्बर भवन' में सम्पत्ति कर जमा शिविर आयोजित

एक करोड़ 40 लाख से अधिक का राजस्व निगम के खजाने में हुआ जमा

नगर–निगम, ग्वालियर के सहयोग से दिनांक 31 अक्टूबर,23 को 'चेम्बर भवन' में सम्पत्ति कर जमा शिविर का आयोजन किया गया । इस अवसर पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष–हेमंत गुप्ता, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल, नगर निगम उपायुक्त–श्री ए. पी. एस. भदौरिया, श्री अनिल दुबे सहित काफी संख्या में व्यापारी एवं उद्योगपति उपस्थित थे ।

ग्वालियर शहर के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों सहित आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 'चेम्बर भवन' में आयोजित इस एक दिवसीय सम्पत्ति कर जमा शिविर में व्यापारियों, उद्योगपतियों सहित आमजन द्वारा शिविर में काफी उत्साह के साथ भाग लेते हुए, अपना सम्पत्ति कर जमा कराया गया ।

उक्त शिविर में नगर–निगम को 01 करोड़ 40 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ ।

शिविर में कार्यकारिणी समिति सदस्य–सर्वश्री रवि कुमार गर्ग, आशीष अग्रवाल, दीपक श्रीचंद जैस्वानी, कृष्णबिहारी गोयल, द्वारकादास गुप्ता, मुकेश गोयल, नंदकिशोर गोयल, संजय गोयल, रोशन गाबरा, विवेक बंसल, निर्मल जैन, राकेश लहारिया आदि शामिल थे ।

अक्टूबर, 2023 के महत्वपूर्ण प्रयास...

* पुलिस अधीक्षक-श्री राजेश सिंह चंदेल को ज्ञापन सौंपकर, तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र में विगत् कुछ दिनों से लगातार चोरों द्वारा औद्योगिक इकाईयों में की जा रहीं चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने की माँग की गई।
* आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर अनेक स्थानों पर बरसात के कारण हुए गड्डों को प्राथमिकता के साथ भरे जाने हेतु विधानसभा वाइज एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने की माँग की गई।
* वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री-माननीय श्री जगदीश देवड़ा, प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, म. प्र. शासन एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, वाणिज्य कर विभाग, भोपाल को पत्र प्रेषित कर, इण्डियन स्टॉम्प (म. प्र. अमेंडमेंट) बिल-2022 के स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट एण्ड रीजन्स की कंडिका 3 व 4 के प्रावधानों का पालन जिला पंजीयन कार्यालयों द्वारा नहीं किए जाने से अवगत कराते हुए, उक्त नियमों का पालन करने हेतु जिला पंजीयक कार्यालयों को लिखित में निर्देशित किए जाने की माँग की गई, ताकि इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित हो सके।
* आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, जयेन्द्रगंज पोस्ट ऑफिस के सामने कर्नाटक बैंक वाली गली में सड़क निर्माण किए जाने की माँग की गई।
* मुख्य निर्वाचन अधिकारी (म. प्र.) भोपाल तथा पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर सहित ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकगणों को पत्र प्रेषित कर विधानसभा निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत आचार संहिता के दौरान सर्राफा कारोबारियों के द्वारा बाहर से मंगाई गई आभूषण के रूप में ज्वेलरी के पुख्ता प्रमाण होने के बावजूद जप्ती आदि की कार्यवाही नहीं करने की माँग की गई।
* जिलाधीश, ग्वालियर सहित ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी जिलाधीश महोदयों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी (म. प्र.) भोपाल को पत्र प्रेषित कर, आचार संहिता के दौरान कारोबारियों द्वारा तगादे के भुगतान लेकर आने और उसका प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर अनावश्यक रूप से कार्यवाही नहीं किए जाने के निर्देश प्रसारित करने की माँग की गई।
* मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र.-श्री अनुपम राजन को पत्र प्रेषित कर, आचार संहिता के दौरान चैकिंग में शराब-पैसों की जब्ती पर सख्ती किए जाने के संबंध में माँग की गई कि व्यवसाई के पास पुख्ता प्रमाण होने पर जब्ती की कार्यवाही नहीं की जाए।
* सीईओ, स्मार्ट सिटी कारपोरेशन लि., ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, महाराज बाड़ा क्षेत्र में मार्ग को संकरा करने वाले बिन्दुओं पर शीघ्र कार्य पूर्ण किए जाने की माँग की गई।
* केन्द्रीय वित्तमंत्री, भारत सरकार-माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री-श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री-माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर में सीजीएसटी कमिश्नरेट बनाए जाने की माँग की गई।
* केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री-श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र प्रेषित कर, विंटर फ्लाइट शेडयूल में कोलकता एवं जम्मू की फ्लाइट को बंद किए जाने के स्थान पर यथावत् बनाए रखने की माँग की गई।
* अपर सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग-श्री भरत यादव को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर शहर में लगाया गया गारबेज शुल्क में परिषद द्वारा पारित संशोधित प्रस्ताव के अनुसार सॉफ्टवेयर में संशोधन करने की माँग की गई।

1 अक्टूबर, 23 से 31 मार्च, 24 तक के लिए घोषित पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें

श्रमायुक्त, इन्दौर द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सहित दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से श्रमिकों के लिए निम्नानुसार परिवर्तित की गई हैं :-

श्रमिकों का वर्ग	कुल वेतन (रु. प्रतिमाह)	कुल वेतन (रु. प्रतिदिन)
अकुशल	9825.00	378.00
अर्द्धकुशल	10682.00	411.00
कुशल	12060.00	464.00
उच्च कुशल	13360.00	514.00

http://www.mpcci.in
अर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

दीपोत्सव 'दीपावली' की हार्दिक शुभकामनाएँ

डॉ. प्रवीण अग्रवाल
अध्यक्ष

हेमन्त गुप्ता
संयुक्त अध्यक्ष

दीपक अग्रवाल
मानसेवी सचिव

डॉ. राकेश अग्रवाल
उपाध्यक्ष

संदीप नारायण अग्रवाल
कोषाध्यक्ष

पवन कुमार अग्रवाल
मानसेवी संयुक्त सचिव

कार्यकारिणी सदस्यगण : अशोक विजयवर्गीय, राहुल अग्रवाल, अमित अग्रवाल, श्रीमती अलका श्रीवास्तव, अभिषेक चतुर्वेदी, रोशन गाबरा, धर्मेश गुप्ता, विवेक हरलालका, प्रीतम सिंह बघेल, अंकुर अग्रवाल, मनोज सरावगी, धर्मेन्द्र जैन, किशोर कुमार कुकरेजा, घनश्यामदास नागवानी (मधु), मोहन माहेश्वरी, द्वारकादास गुप्ता, रवि कुमार गर्ग, कल्याणचंद गुप्ता, संजय अग्रवाल, राजेन्द्र कुमार गुप्ता, अनुराग गर्ग, विपुल अग्रवाल, दीपक श्रीचन्द जैस्वानी, मुकेश गोयल, अजय गोयल, राकेश कुमार गुप्ता, गोकुल बंसल, जितेन्द्र बंसल, जगदीश खेमानी, महेन्द्र कुमार साहू, राजेन्द्र सिंघल, लोकेश अग्रवाल, कन्हैयालाल अग्रवाल, दीपक जैन, रवि जैन, दीपेश अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण गर्ग (रोबिन), अजीत जैन, पारस जैन (मुरार), अभिषेक गोयल, अनिल कुमार आनन्द, पारस जैन, विवेक बंसल, आशीष अग्रवाल, सुनील गोयल (कोठी वाले), के. के. महेश्वरी, दीपक अग्रवाल, राधामोहन गुप्ता, विकास अग्रवाल, आलोक आहूजा, मनोज कुमार सांघी, ओमप्रकाश पुष्प, मनोहरलाल अरोरा, प्रशांत सिंघल, भरत कुमार बंसल, विपुल गुप्ता, जगदीशप्रसाद निगोतिया, अमित सेठी, रवि अग्रवाल, विनोद कुमार बिजपुरिया, सुभाष गुप्ता, रवि मंगल, मनोज भाटिया, श्याम कुमार गुप्ता, निर्मल कुमार जैन, वैभव सिंहल, शुभम मंगल, श्रीमती अंजलि गुप्ता, डॉ. विनोद जैन, नवीन अग्रवाल, रीतेश अग्रवाल, अवध सिंह धाकरे, गिर्राज सिंघल, प्रतीक जैन, बसंत शर्मा, संजीव अग्रवाल (कुकू), आशीष जैन, रामकुमार गोयल, रवि मित्तल, पवन अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, अरुण गुप्ता, शिवरतन सिधवानी, विश्वास जेस्वानी, सुरेश बंसल, अमित अग्रवाल, मनोज जैन, दीपक पमनानी, आशुतोष मिश्रा, संजय अग्रवाल, अनिल दुबे, दीपक गुप्ता, राकेश लहारिया, अशोक शर्मा (प्रेमी), कैलाश जौलिया, राजकुमार अग्रवाल, हिमांशु अमरपुरी, पवन गर्ग, आलोक जैन, संजय गुप्ता, आशुतोष लहारिया, अखिलेश गोयल, रवि गुप्ता, अशोक कुमार अग्रवाल, राजेश बंसल, संदीप जैन, मयंक गर्ग, मनीष सिंघल, नरेन्द्र मंगल (लाला), पंकज अरोरा, मयंक अरोरा, दिनेश कुमार अग्रवाल, परषोत्तम गुप्ता, सतीश गर्ग, राकेश अग्रवाल, एम. के. सांघी, संजय गोयल, प्रवीण अग्रवाल, बृजेश गुप्ता, अनूप साहू, गौरव गर्ग, प्रदीप कुमार अग्रवाल, कमलेश कुमार जैन, चन्द्रकांत अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, विजय कुमार गोयल, पंकज सिंहल, ब्रजेश गोयल, प्रशान्त गंगवाल, राजकुमार गर्ग, आर. पी. अग्रवाल, राजेन्द्र अग्रवाल, संजयनारायण अग्रवाल, अमर सिंह ग्रोवर, अंकित अग्रवाल, राकेश झा, ललित गुप्ता, सुनील अग्रवाल, सौरभ गुप्ता, राजेश माखीजा, अनिल अग्रवाल, राहुल जैन, नंदकिशोर गोयल, विपिन गुप्ता, कृष्ण कुमार मित्तल, संजीव गुप्ता, ओमप्रकाश कुकरेजा, रामकुमार चौपड़ा, रामनिवास अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल, जितेन्द्र जाजू, श्रीमती साधना जैन, सुशांत सिंघल, कृष्ण बिहारी गोयल, हरिहरशरण गर्ग, अमृत माहेश्वरी, प्रतीक गुप्ता, ग्वालदास अग्रवाल, सुनील सिंहल सर्राफ , कु. रूचिका अग्रवाल, सुजीत कुमार अग्रवाल, गिरिराज सिंघल।

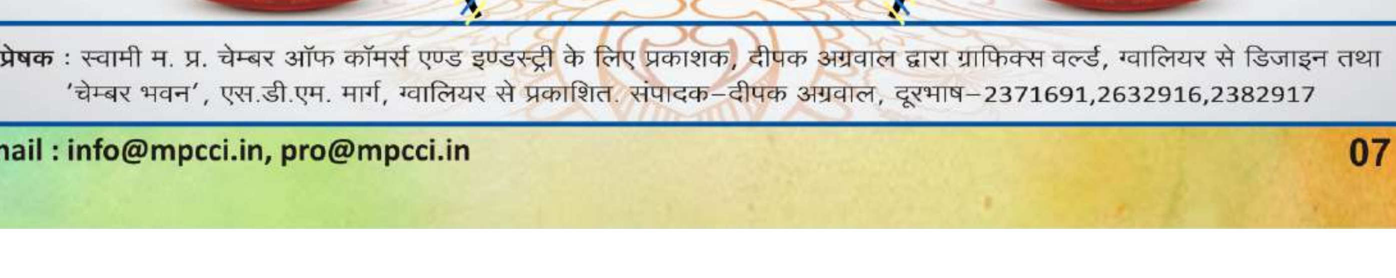

प्रेषक : स्वामी म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के लिए प्रकाशक, दीपक अग्रवाल द्वारा ग्राफिक्स वर्ल्ड, ग्वालियर से डिजाइन तथा 'चेम्बर भवन', एस.डी.एम. मार्ग, ग्वालियर से प्रकाशित. संपादक–दीपक अग्रवाल, दूरभाष–2371691,2632916,2382917